कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–फा.10 (8) सविरा/बी–6/व्यवस्थापक/2019 दिनांक 29.7.2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक फा. 97 (26) सविरा/बैंक–3/2008 दिनांक 23.08.2008 एवं इस क्रम में जारी समस्त विभागीय आदेशों को अतिलंघित करते हुये राजस्थान सहकारी संस्था नियम 2003 के नियम 39, सहपठित राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 123 एवं 127 के अन्तर्गत मैं मुक्तानन्द अग्रवाल, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ राजस्थान, जयपुर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.07.2022 के अनुसरण में राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रकिया एवं सेवा नियम – 2022 जो संलग्न है तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश देता हूँ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–फा.10 (8) सविरा/बी–6/व्यवस्थापक/2019 दिनांक 29.7.2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को गजट में प्रकाशनार्थ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर को पठाकर लेख है कि उक्त सेवा शर्ते शीर्ष बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराने का श्रम करें।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर।
8. सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जयपुर।
9. मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर।
11. संयुक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,......................... समस्त।
12. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. .... (समस्त) को पठाकर लेख है कि वे जिले की पैक्स/लैम्पस को उक्त सेवा शर्तो की प्रति उपलब्ध करवाये।
13. क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
14. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
15. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)
16. प्रचार अधिकारी, सहकारी समितियॉ, प्रधान कार्यालय जयपुर को पठाकर लेख है कि उक्त सेवा शर्ते विभाग की वेबसाईट पर भी तत्काल प्रकाशित करावे।
17. अध्यक्ष/व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ,........ (समस्त) को पठाकर लेख है कि वे संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक/वेबसाईट से सेवा शर्तो की प्रति प्राप्त कर सकते है।
18. गार्ड पत्रावली।

128

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम–2022

भाग–1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं प्रभावशीलता

1.1. इन नियमों का नाम " **प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम–2022** " होगा।

1.2. ये सेवा नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा बिना रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश के इनमे कोई संशोधन/परिवर्तन नही होगा।

1.3. ये सेवा नियम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा पूर्व में समय समय पर लागू किये गये प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सेवानियमों/सेवा शर्तो के अन्तर्गत चयनित एवं कार्यरत तथा भविष्य में इन नियमों के अन्तर्गत चयनित/भर्ती होने वाले व्यवस्थापकों पर लागू होंगे। समिति में कार्यरत अन्य कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे।

1.4. प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों/वृहत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अधीन की जा सकेगी।

1.5. संबंधित प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियॉ/वृहत कृषि बहु उद्देशीय सहकारी समितियॉ ही कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारी होगी एवं कर्मचारी संबंधित समिति के ही कार्मिक होंगे। कर्मचारी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी नही होंगे।

1.6. यदि किसी सोसायटी द्वारा इन नियमों एवं निर्धारित मापदण्ड के विपरीत अथवा उनके उल्लंघन में कोई भर्ती कर ली जाती है तो इस प्रकार की भर्ती अनियमित समझी जावेगी तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवाऐं इन नियमों से शासित नही होगी।

1.7. निर्धारित मापदण्डों के प्रतिकूल की गई किसी भी भर्ती को जान बूझकर समिति की सम्पदा के दुरूपयोग की श्रेणी में समझा जायेगा, जिसके लिये संबंधित व्यवस्थापक/अध्यक्ष/प्रशासक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3-f